कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 3398/2019 वीना डोरिया, प्रधानाचार्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरण में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.11.2019 द्वारा अपीलार्थी श्रीमती वीना डोरिया की अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र को ग्राहयता के प्रक्रम पर ही खारिज करते हुए अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे विधि अनुसार, एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अभिकथन किया गया है कि वह राउमावि बिडोली जिला टोंक में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थी। विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 द्वारा उनका स्थानान्तरण करीब 400 किमी दूर राउमावि मधुरा तालाब जिला प्रतापगढ किया गया है। अपीलार्थी के अनुसार विगत 12 वर्षों के सेवा काल में उन्हें 5 बार अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा चुका है। अपनी प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों के मद्देनजर अपीलार्थी श्रीमती वीना डोरिया द्वारा अपना पदस्थापन राउमावि धान्धोली, दूदू जिला जयपुर अथवा राउमावि रसीली, दूदू जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी प्रधानाचार्य समकक्ष पद पर कार्यरत है जो कि एक राज्य सेवा का पद है। नियोक्ता द्वारा उन्हें विभागीय प्राथमिकता, प्रशासनिक आवश्यकता, राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। जहां तक याचिकार्थी द्वारा स्वयं को 400 किमी दूर स्थानान्तरित किये जाने का अभिकथन किया गया है तो इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276 भगवान दास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि दूरी के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता क्योंकि एक लोक सेवक को जहां उसे पदस्थापित किया गया है, वहां कार्य करना होता है। स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न अंग होता है और इससे किसी लोक सेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता। अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण भी किया जा चुका है। उक्तानुसार अपीलार्थी द्वारा की गई मांग उचित नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाता है जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी श्रीमती वीना डोरिया राउमावि मधुरा तालाब जिला प्रतापगढ में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगी। सम्बन्धित सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/वीना डोरिया/अपील/3398/2019 दिनांकः 11.08.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, प्रतापगढ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. श्रीमती वीना डोरिया, प्रधानाचार्य राउमावि मधुरा तालाब, प्रतापगढ।
10. अपीलार्थी श्री विनोद कुमार गुप्ता, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)